International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त साख सुविधाओं एवं नवीन प्रवृत्तियों का अध्ययन

डॉ. भुवन चन्द्र मेलकानी[1], मुकेश चन्द्र उपाध्याय[2]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,एम.बी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविधालय, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखंड
[2]शोध छात्र,वाणिज्य विभाग,एम.बी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविधालय, हल्द्वानी (नैनीताल),उत्तराखंड

सारांश

क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में साख व बैकिंग सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन बैको की शाखाएं अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोली गई है। जहां पहले बैकिंग सुविधएं नही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बचतों को इकटठा करने में इन्होने महत्वपूर्ण योगदान दिया है क्योंकि यह एक ऐसी बैंकिंग संस्था है जो ग्रामीण परिवारों के सबसे नजदीक है जैसा की इन बैकों का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गो की आवश्यकताओं को पूरा करना है इन बैको द्वारा दिए गये कुल प्रत्यक्ष ऋणों में कमजोर वर्गो का हिस्सा अधिक मात्रा में है जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य है।

ग्रामीण एवं कृषि विकास हेतु ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखण्ड ग्रामीण बैक का योगदान महत्वपूर्ण साबित हो रहा है इन बैकों द्वारा ग्रामीण क्षत्रों में कमजोर वर्गो को ऋण उपलब्ध करा कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया है ये बैक कृषि मजदूर लघु,कुटीर तथा दस्तकारी उघमियों तथा लघु एवं सीमान्त किसानों को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे है। इस प्रकार बैक अपने विभिन्न आयामों द्वारा देश के सभी ग्रामीण क्षत्रों में कोने काने तक ऋण सुविघाओं को बढावा दे रहे है जिसका लाभ लोगों को मिल भी रहा है। कृषि,व्यापार,पशुपालन,लघुसीमान्त किसानों और ग्रामीण क्षत्रों के कमजोर व्यक्तियों को विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से प्राचीन ऋण व्यवस्था से छुटकारा भी मिला है आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण साख व्यवस्था को और अधिक सरल किया जाय ताकि इसका लाभ देश के सभी वर्गो को मिल सके तथा सफल ग्रमीण भारत का सपना साकार हो सके।

मुख्यशब्द– ग्रामीण, बैंक, ऋण, कृषि

प्रस्तावना

प्राचीन समय में जब ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त की आवश्यकता होती थी तो वे लोग गाँवों में रहने वाले साहूकारों, महाजनों से ऋण लेते थे और जिसके लिए उन्हें अधिक मात्रा में ब्याज देना पड़ता था। इस प्रकार किसानों का शोषण भी होता था। इस शोषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत स्रोतों पर जोर दिया गया। जिसमें प्रमुख रूप से सहकारी समितियाँ एवं वाणिज्यक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते है। जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर पर ऋण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

भारत में सहकारी ऋण संस्थानों के द्वारा चार स्तरों पर कृषि ऋण दिए जा रहे है। प्राथमिक स्तर कृषि सम्बन्धी समितियाँ तथा भूमि विकास बैंक जो कृषक उधारकर्ताओं से सीधे लेन–देन करते है, इसके अलावा राज्य सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक जो केवल अप्रत्यक्ष ऋण उपलबध कराते है लेकिन स्वतन्त्रता से पहले और इसके बाद भी ये संस्थाएं कृषि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने उतनी सफल नहीं रही है।

वाणिज्यक बैंकों की ग्रामीण बैंकिग में भागीदारी तब शुरू हुई जब 1955 मे इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीकृत कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने 1956 में सहकारी बैंको, भूमि बन्धक बैंकों और सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के लिए ऋण देना शुरू कर दिया। इसके बाद वर्ष 1969 में 14 वाणिज्यक बैंकों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया। वाणिज्यक बैंकों ने बड़े पैमाने में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोली। जिससे इन बैंकों की शाखाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। परन्तु ये बैंक ग्रामीण किसानों को ऋण देने में असफल रहें। उन्होंने धनी किसानों की बचतों को जुटा कर सहकारी समितियों को कमजोर किया तथा धन का इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों में किया इन्होंने अनुभव किया ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना मंहगा है तथा दूसरी तरफ शहरी स्टाफ ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझने में असमर्थ था।

बैकिंग आयोग नं 1972 में प्रकाशित रिपोर्ट में पाया कि भारत जैसे विशाल देश में कोई एक प्रकार की वित्तीय संस्था ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ थी, इसीलिए आयोग ने एक बहुविधि कार्यक्रम की सिफारिश की जिसमें सहकारी ऋण समितियों, वाणिज्यक बैंको, भारतीय स्टेट बैंक और प्रायोजित ग्रामीण बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने थी। परन्तु भारत सरकार ने 1975 तक देश में ग्रामीण बैंकों की श्रृंखला शुरू करने की बैकिंग आयोग की सिफारिश पर कोई विचार नहीं किया। लेकिन जुलाई 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को स्थापित करने का विचार आया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की आवश्यकता को पूरा किया जा सकें।

26 सितम्बर, 1975 को घोषित एक अध्यादेश के अन्तर्गत 2 अक्टूबर 1975 को पहले पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए और 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम ने इसका स्थान ले लिया। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत के लगभग सभी राज्यों में कार्य कर रहे है, उत्तराखण्ड राज्य में यह बैंक उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक संक्षिप्त परिचय–

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक राज्य के दूरस्थ भाग में विशम भौगोलिक परिस्थितियों में स्थानीय लोगों को बैकिंग सेवायें प्रदान कर क्षेत्र विशेष की प्रगति में अपना योगदान प्रदान कर रहा है। सेवा के इस अभियान के साथ बैकिंग व्यवसाय के बैंक निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, पूर्ववर्ती नैनीताल, अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के विलय के पश्चात दिनांक 01.11.12 को अस्तित्व में आया। इस बैंक का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के 13 जिलों में विस्तारित है।

बैंक का प्रधान कार्यालय देहरादून में है जो कि उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी हैं। बैंक का कार्यक्षेत्र जो सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ है।

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक में प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार एवं राज्य सरकार की क्रमशः 50, 35 एवं 15 प्रतिशत पूंजी लगी है। इस प्रकार यह पूर्णतः सरकारी बैंक है। उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित है। इस प्रकार यह Scheduled commercial bank है।

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, उत्तराखण्ड राज्य के सभी तेरह जिलों में अपनी 290 शाखाओं के साथ राज्य में बडे बैकिंग नेटवर्क के माध्यम से सर्वोत्तम बैकिंग सेवाएं देने के लिये कटिबद्ध है।जिसमें सबसे अधिक 219 शाखाएं ग्रामीण क्षत्रों में, 41 शाखाएं अर्धशहरी क्षेत्रों में तथा 30

शाखाएं शहरी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा हैं। राज्य के दूरस्थ एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों के साथ–साथ अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के विकास, समाजोत्थान के साथ आय भी अर्जित कर रहा है जो कि विलक्षण एवं सराहनीय है।

तालिका 1
शाखा विस्तार

शाखाएं	मार्च 2021	मार्च 2022	मार्च 2023	मार्च 2024
ग्रामीण	216	216	217	219
अर्धशहरी	41	41	41	41
शहरी	29	29	30	30
कुल योग	286	286	288	290

स्रोत–उत्तराखंड ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट 2023- 24

अध्ययन के उद्देश्य–

1ण राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रगति एवं नवीन प्रगतियों का अध्ययन करना।
2ण उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त साख सुविधाओं का अध्ययन करना।
3ण उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के कार्य निष्पादन के कमजोर पक्षों को प्रकाश में लाना एवं भविष्य में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देना।

अध्ययन की आवश्यकता– उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है जिसकी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि , बागवानी , पशुपालन एवं अन्य लघु एवं कुटीर उद्योग है, जिनके कुशल संचालन के लिए इन्हें समय समय पर वित्त की आवश्यकता होती है उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की अधिकतर शाखाऐं कार्यरत है जो समाज के निर्बल वर्गो के आर्थिक विकास में कितना योगदान दे रहे है और अपने कर्तवयों का निर्वाह करने में कितना सफल रहे है उक्त तथ्यों का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाना आवश्यक है ताकि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण साख की प्रगति एवं नवीन प्रवृत्तियों का पता लगाया जा सके और भविष्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं सुझाव प्रस्तुत किया जा सके , यह शोध कार्य इस दिशा में एक प्रयास है।

परिकल्पना निरुपण

H_0–बैंकिंग साख सुविधाओं का ग्रामीण जीवन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

H_A–बैंकिंग साख सुविधाओं का ग्रामीण जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

शोध विधि– इस शोध विधि के प्रारंभिक चरण में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सम्बंधित उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया गया है इस कार्य हेतु प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों से प्राप्त आकड़ो का उपयोग किया गया है प्राथमिक स्रोतों में स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया गया तथा बैंक के लाभार्थीओ से प्रश्नावली एवं अनुसूची के माध्यम से प्राप्त सुचनाओं का उपयोग किया गया है तथा बैंक कर्मचारियों एवं ग्राहकों से साक्षात्कार एवं मौखिक जानकारी प्राप्त की गयी है तथा ऑनलाइन और ऑफलाइन जर्नल, समाचार पत्रों, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, उपलब्ध साहित्य, शोध प्रबंध वेबसाइट आदि का प्रयोग किया गया है।

साहित्य का पुनरावलोकन–

वी. मलयाद्री (1975) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सरकारी बैंकों के मध्य अध्ययन किया। उन्होंने अध्ययन में पाया कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसायिक बैंकों की संचालन लागत बहुत अधिक है इसी कारण से कार्य दल ने एक ऐसी संस्था के विकास पर बल दिया जिसमे व्यावसायिक बैंकों तथा सहकारी समितियों दोनों के गुणों का समावेश हो। इसके परिणामस्वरूप कार्यदल ने क्षेत्रीय आधार पर ग्रामीण बैंकों के गठन की संस्तुति की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के गठन के संस्तुति में कार्यक्रम ने इस बात पर ध्यान दिया कि वर्तमान साख के पुनर्निर्माण तथा सुधार से बढ़ती हुई साख की

मांग को पूरा किया जा सके। कार्यदल ने यह महसूस किया कि ग्रामीण साख का क्षेत्र बहुत जटिल और वृहद है जिससे ग्रामीण व्यक्ति की साख आवश्यकताओं को पूर्ण करना एक कठिन कार्य है इसलिए कार्य दल ने भारत सरकार को किसान सेवा समिति के गठन का सुझाव दिया। इसके अंतर्गत किसान सेवा समिति का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से इस प्रकार समन्वय हुआ जिससे ग्रामीण सेवा समिति साथ वितरण क्षेत्र मे माध्यम का कार्य करें।

अब्दुल नूरवसा और दक्षिणा मूर्ति (1984) ने अपने अध्ययन में यह पाया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने गरीब वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस अध्ययन का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वाणिज्यिक बैंकों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र को साख प्रदाता के रूप में पूर्ण क्षमताओं का प्रयोग किया है। यह अध्ययन केवल द्वितीयक आकड़ो पर आधारित था।

हिमांशु शेखर (1997) का अध्ययन भारत में ग्रामीण साख के कार्यक्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों को विश्लेषण और व्याख्या पर केन्द्रित है। इसके अन्तर्गत बिहार राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किये गये आर्थिक विकास के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस अध्ययन में बिहार के विशेष सन्दर्भ के साथ भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विभिन्न समस्याओं और संभावनाओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस अध्ययन में 1976 से 1985 की समय अवधि को लिया गया है।

रामोला (2002) प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरांचल राज्य ने बैंकिंग सेवा क्षेत्र के निर्माण का अध्ययन किया गया है। बैंक द्वारा राज्य ग्रामीण क्षेत्र का निर्माण करने के लिये कई तरह के नये प्रयोग किये गये। जहाँ पर ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं के प्रति सचेत नहीं थे। वहाँ पर बैंक ने सेवाओं के द्वारा ग्रामीणों को बैंक की सारी जानकारियों से अवगत कराया गया।

मैगी उदीन (2003) इनका अध्ययन उत्तरांचल में ग्रामीण बैंक की निष्पादन व कार्यशील पूँजी पर निर्भर रहा है। बैंक ने कार्यशील पूँजी में शाखा विस्तार, जमाओं की गतिशीलता, लाभदायकता आदि का विस्तृत विश्लेषण किया हैं। अध्ययन के कुछ मापदण्डों के आधार पर अर्थव्यवस्था पर बैंकों के प्रभाव को शामिल किया गया है।

शशी रेखा एवं रानी रत्ना प्रभा (2008) प्रस्तुत शोध ग्रंथ आर्थिक सुधारों से पूर्व व पश्चात् दी जाने वाली कृषि साख के विश्लेषण पर निर्भर है। इस शोध पत्र में मुख्यतः संस्थागत निवेशों के उद्देश्यों को तथा किस प्रकार की कृषि साख उपलब्ध करवाई गई है निष्कर्ष में यह पाया कि कृषि साख की गति 80 के दशक से 90 के दशक में कम रही है। 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में 5, तथा निजी क्षेत्र में बैंकों में 2 बैंक ही अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर पाये।

पुजारी (2011) ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता पर एक अध्ययन किया और सुझाव दिया कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने छोटे किसानों के ऋण को कम करने और भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों जैसे कमजोर वर्गों के गैर–संस्थागत ऋण का निर्वहन करने और स्थानीय लोगों पर ग्रामीण लोगों की निर्भरता को कम करने के लिए साहूकार पर निर्भरता कम करने के लिए उपयुक्त कानून बनाया है। छोटे किसानों और कारीगरों को समय पर और पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करने के लिए साहूकारों, सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित संस्थागत ऋण संरचना के नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

सिंह. आर. और मलिक, जी. (2019) के अनुसार इस बात की अपार संभावनाएं हैं कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था नकदी के बिना अर्थव्यवस्था बन सकती है। दूसरा तरीका ग्रामीण आबादी के बीच डिजिटल लेनदेन और वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न शैक्षिक संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों के साथ काम करना है। यह लेनदेन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल एप्लिकेशन जैसे बहुभाषी ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म भी प्रदान कर सकता है। हालांकि, डिजिटल भुगतान में नए संभावित नवाचारों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान वितरण की बेहतर स्थिति को बढ़ावा देने की क्षमता है।

ग्रामीण साख सुविधाएँ

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण साख सुविधाओं के विभिन्न रूपों को विकसित किया है ताकि कृषक, महिला,

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) एवं सूक्ष्म उद्यमी लाभान्वित हो सकें। प्रमुख साख सुविधाएँ निम्न हैं।

- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) यह सुविधा किसानों को कृषिगत उपकरण, बीज, उर्वरक, सिंचाई एवं पशुपालन जैसी कृषि आवश्यकताओं के लिए एक आवर्ती ऋण सीमा उपलब्ध कराती है। केसीसी के अंतर्गत किसान अपनी खेती के मौजूदा खर्चों के लिए त्वरित ऋण प्राप्त कर सकते है किसानों को 12 से 60 माह में आसान किश्तों में ऋण चुकाने का विकल्प मिलता है और इसमें कम ब्याज दर व कम प्रोसेसिंग शुल्क जैसी सुविधाएँ हैं।
- महिला क्रेडिट कार्ड योजना : बिना अपनी जमीन के महिलाएँ भी कृषि एवं ऋण आधारित गतिविधियों के लिए इस कार्ड के माध्यम से ₹25,000 तक का ऋण ले सकती हैं। यह योजना विवाहिता महिलाओं को कृषि कार्यों रबी, खरीफ, खाद–पानी तथा खेत से जुड़ी सहायक गतिविधियों सिंचाई, बाड़, बिजली के लिए त्वरित ऋण मुहैया कराती है। इसमें कोई अग्रिम राशि की आवश्यकता नहीं है और ब्याज दरें भी कम रखी गई हैं।
- स्वरोज़गार क्रेडिट कार्डः ग्रामीण कारीगरों, हस्तशिल्पियों, मछुआरों, रिक्शाचालकों, स्वयं–रोजगार पेशेवरों एवं लघु उद्यमियों को कार्यशील पूंजी एवं विकास पूंजी दोनों के लिए यह कार्ड प्रदान किया जाता है। इसके तहत प्रत्येक कार्ड के लिए अधिकतम ₹25,000 तक का ऋण उपलब्ध है। ऋण के पुर्नभुगतान की आसान सुविधा, प्रति कार्ड कोई मार्जिन राशि न देना और कम ब्याज दर इसकी विशेषताएँ हैं।
- लघु उद्योग/एमएसएमई ऋण छोटे उद्योगों के विकास के लिए बैंक सामान्य आवर्ती ऋण, परियोजना ऋण आदि प्रदान करता है। स्वरोज़गार कार्ड इसी श्रेणी का हिस्सा है। इसके अंतर्गत छोटे कुटीर उद्योगों, स्थानीय सेवा–क्षेत्र के उद्यमों तथा व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)ऋणः ग्रामीण महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए बैंक ने एसएचजी लिंकज कार्यक्रम चलाया है। बैंक द्वारा आयोजित ऋण शिविरों में जैसा कि हल्द्वानी क्षेत्र में आयोजित ऋण शिविर में 50 स्वयं सहायता समूहों को कुल ₹2.51 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई। इन शिविरों में कृषि, व्यवसाय, आवास, वाहन, शिक्षा और आवासीय भूमि क्रय जैसे विभिन्न योजनाओं के तहत किफायती दर पर ऋण प्रदान किया इस प्रकार की पहल से ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है।
- अन्य कृषि ऋण योजनाएँ कृषि नकद क्रेडिट, कृषि टर्म लोन, पशुपालन/मछली पालन लोन आदि के माध्यम से बैंक ने किसानों को ऋण सहायता प्रदान की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजनाएँ, सुराज बीमा योजनाएँ आदि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रचार–प्रसार बैंक शाखाओं द्वारा किया जाता रहा है।

इन सभी सुविधाओं के माध्यम से उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण साख के क्षेत्र में व्यापक पहुँच बनाई है तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। बैंक द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न ऋण उत्पादों ने छोटे किसानों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण कारीगरों को स्वरोजगार एवं विकास के अवसर दिए हैं।

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण वितरण एवं प्रगति का विश्लेषण

तालिका–2

वर्षवार ऋण वितरण **राशि करोड में**

वित्तीय वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
ऋण वितरण	2127	2281	2428	2596	2791	3148	3748	4578
प्रतिशत वृद्धि	7.32%	7.27%	6.42%	6.94%	7.49%	12.79%	19.07%	22.15%

स्रोत–उत्तराखंड ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट 2023- 24

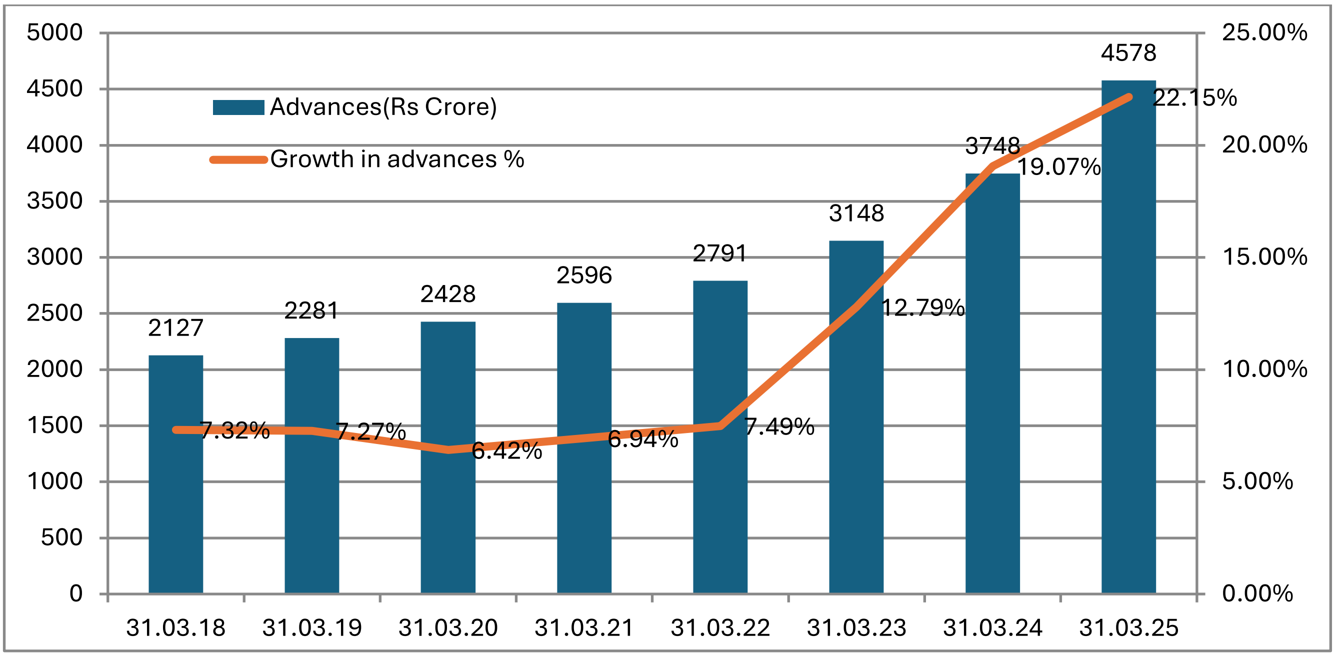

ऋण एवं अग्रिम–बैंक का ऋण वितरण वित्तीय वर्ष 2017–18 में 2127 करोड रूपये था जो वर्ष 2018–19 में 154 करोड रूपये 7̤27 प्रतिशत वृद्वि के साथ 2281 करोड रूपये हो गया था जो वर्ष 2024 –25 में 2̤015 प्रतिशत वृद्वि के साथ 4578 करोड रूपये हो गयाहैं। अतः तालिका– 3 से स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 को छोड कर पिछले वर्षो में ऋण वितरण में लगातार वृद्वि हुई है जो उत्तराखण्ड के ग्रमीण क्षेत्रों में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की साख सुविधाओं में योगदान को दर्शाता हैं।

वर्ष 2019 से 2025 के बीच उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की प्रगति के कई महत्वपूर्ण संकेतक उपलब्ध हैं। बैंक के वार्षिक आँकड़ों से पता चलता है कि इस अवधि में बैंक का व्यापार, जमा एवं ऋण वितरण में निरंतर वृद्धि हुई है। नीचे सारिणी में कुछ प्रमुख वित्तीय आँकड़े दिए गए हैं:

तालिका –3

वर्ष (31 मार्च)	जमा (₹ करोड़)	ऋण (₹ करोड़)	ऋण–जमा अनुपात (%)	सकल एनपीए (%)
2019	5,007.94	2,281.15	45.55	7.30
2022	6,485.54	2,790.81	43.03	7.21
2025	8,470.50	4,577.95	54.05	3.25

स्रोत–उत्तराखंड ग्रामीण बैंक वित्तीय विश्लेषण रिपोर्ट।

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि जमा और ऋण में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है। 2019 में कुल जमा ₹5,007.94 करोड़ थे, जो 2025 में बढ़कर ₹8,470.50 करोड़ हो गए। इसी तरह, अग्रिम (ऋण) 2019 में ₹2,281.15 करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹4,577.95 करोड़ तक पहुँच गए। इस दौरान ऋण–जमा अनुपात 45.55 से बढ़कर 54.05 हो गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की क्षमता में सुधार को दर्शाता है।बैंक की लाभ प्राप्ति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सालाना शुद्ध लाभ 2024–25 में ₹78.11 करोड़ रहा, जबकि 2019–20 में बैंक ने मामूली हानि ₹79. 24 करोड़ का घाटे की थी। सकल एनपीए का स्तर भी धीरे–धीरे गिरता गया 2019 में 7.30 से घटकर 2025 में 3. 25 हो गया। यह सुधार ऋण संग्रह और रिकवरी नीतियों का परिणाम है। इन आँकड़ों से लगता है कि 2019–2025 के दौरान बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है।बैक की प्रगति में डिजिटल सेवाओं का भी सहयोग रहा

है। बैंक ने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएँ प्रदान की हैं। इस दौरान खाता खोलने की संख्या में और पीएम जन–धन योजना से जुड़े खाते खोलने में भी वृद्धि हुई। 2025 में उत्तराखंड में पीएम जन–धन योजना के तहत 11.36 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं, जो राज्य में वित्तीय समावेशन की दिशा में बड़ा कदम है।

ग्रामीण ऋण वितरण के क्षेत्र में बैंक ने कई ऋण मेले एवं शिविरों का आयोजन किया। फरवरी 2025 में कोटद्वार के दुगड्डा में आयोजित ऋण शिविर में बैंक ने 132 लाभार्थियों को ₹17 करोड़ से अधिक के ऋण उपलब्ध कराए इससे स्पष्ट है कि बैंक ने गत वर्षों में भी ग्रामीण तक ऋण सेवाएँ पहुँचाने के प्रयास किए हैं। इन व्यावहारिक आँकड़ों और सुचनाओं से यह प्रत्यक्ष होता है कि पिछले कुछ वर्षो में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने अपनी सम्पत्ति और लाभप्रदता में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बैंक द्वारा समस्त क्षेत्री में उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसमें से मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं

ऋण प्रस्तावों के त्वरित निवारण एवं निस्तारण में एकरूपता लाने के दृष्टिगत रूडकी, दुर्गापुर, रुद्रपुर एवम पिथौरागढ़ में 4 नए ऋण प्रसंस्करण सेल (सी. पी. सी) की स्थापना की गयी है।

पर्वतीय जिलों पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में दो नई शाखाये बिण एवं पाटी खोली गयी हैं।

दिनांक 31.03.2024 की तिथि पर बैंक का व्यवसाय 13 प्रतिशत की वृद्धि दर से रु 11581.26 करोड़ रहा, जिसमे जमा रु 7833.62 करोड़ (10.06 प्रतिशत वृद्धि) तथा ऋण रु 3747.64 करोड़ (19.06 प्रतिशत वृद्धि) है।

बैंक का कुल कृषि ऋण 27.02 की वृद्धि से बढ़ कर रु 558 करोड़ हो गया है।

7565 स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज कर रु 181,39 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है।

अपनी दक्षता और सेवा वितरण प्रणाली को बढ़ाने में कारगर इन्टरनेट बैंकिंग लेन–देन अधिकार आर. बी. आई से सफलतापूर्वक प्राप्त किये गए।

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में सामाजिक सुरक्षा योजनाओ जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 14.33 की वृद्धि कर 83144 नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 36,14 की वृद्धि से 161339 नामांकन तथा अटल पेंशन योजना में 6,63: की वृद्धि दर से 30605 नये नामांकन कर राज्य में उल्लेखनीय कार्य किया गया है।

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में सामाजिक सुरक्षा योजनाओ जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कुल 169 लाभार्थियों को 3.38 करोड़ दावा राशि एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कुल 56 लाभार्थियों को 1.10 करोड़ दावा राशि का भुगतान अदा किया गया।

बैंक के साथ 206 नये सी.एस.पी जुड़ने से कुल सी.एस.पी की संख्या 624 हो गई है साथ ही 3 नए कॉरपोरेट बी. सी. मिलकर बैंक में कुल कॉरपोरेट बी.सी. की संख्या 6 हो गयी है।

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में 29 बैंक शाखाओ को बी. सी. के रूप में जोडा गया है।

बैंक द्वारा सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है जैसे योग दिवस, रक्षा बंधन, करवाचौथ, स्थापना दिवस, हस्तशिल्प मेला, ग्राहक होली मिलन, सामुदायिक क्षेत्रो की सफाई आदि।

नवीन प्रवृतियां

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने पारंपरिक बैंकिंग के साथ–साथ आधुनिक तकनीकी नवाचारों को भी अपनाया है जिससे सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच में वृद्धि हुई है। प्रमुख नवीन प्रवर्तन इस प्रकार हैं

- **मोबाइल बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग–** बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल एप और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा शुरू की है। इससे ग्रामीण ग्राहक अपने खाते का ब्यौरा, फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट जैसे कार्य घर बैठे कर सकते हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की मोबाइल एप्प Google Play Store पर उपलब्ध है।
- **माइक्रो एटीएम और बैंकिंग मित्र (बीसी)–** दूरदराज के गांवों में बैंक शाखाएं नहीं होने पर बैंकिंग मित्र जैसे गांव के स्थानीय दुकानदार और माइक्रो एटीएम के माध्यम से नकद निकासी एवं जमा सेवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

इससे बैंकिंग लेनदेन के लिए दूर शाखा तक जाने की बाधा कम हुई है। बैंक अपनी वेबसाइट पर एईपीएस (Aadhaar Enabled Payment System) और RuPay कार्ड के बारे में भी जानकारी दे रहा है।

- **डिजिटल ऋण प्रोसेस–** ऋण आवेदनों में डिजिटलीकरण हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन आदि के आवेदन में ऑनलाइन प्रक्रिया, ई–केवाईसी, और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अपनाए गए हैं। इससे ऋण स्वीकृति में पारदर्शिता बढ़ी है और कार्यवाही तेज हुई है। बैंक ने अपने E-know Your Customer कार्यक्रम और Mobile Literacy Van अभियान से ग्रामीणों में डिजिटल बैंकिंग की जानकारी पहुँचाने का प्रयास भी किया है।
- **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम–** ग्रामीणों को बैंकिंग व वित्तीय उत्पादों से अवगत कराने के लिए बैंक और सरकार ने मिलकर वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए। भूनाकोट (देहरादून) में नाबार्ड के सहयोग से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डिजिटल इंडिया की जानकारी दी गई। इन अभियानों से ग्रामीणों में बचत, बीमा और कर्ज योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
- **आधार और डिजिटल पेमेंट–** बैंक ने ग्रामीण ग्राहकों को आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (AEPS) और नकदलेस लेनदेन के फ़ायदे बताने पर जोर दिया है। इससे सब्सिडी और सरकारी सहायता सीधे बैंक खातों में भेजने में मदद मिली। UGB ने RuPay कार्ड वितरण और AEPS के जरिए ग्रामीण बाज़ारों में डिजिटल लेनदेन को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए हैं।

इन नवीन तकनीकों के परिणाम स्वरूप ग्राहक सुविधाओं में सुधार हुआ है और बैंक की पहुँच बढ़ी है। तकनीकी अपग्रेड तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं से ग्रामीण ग्राहक कम समय में सरलता से बैंकिंग कर पा रहे हैं, जिससे कुल मिलाकर बैंकिंग का लाभ बढ़ा है।

कुल मिलाकर, प्राथमिक सर्वेक्षण और क्षेत्रीय अध्ययन बताते हैं कि ग्रामीण ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएँ मिल रही हैं, किंतु सेवा की गुणवत्ता, ऋण की आसान उपलब्धता और जल्दी से जल्दी सेवाएँ मुहैया कराने में सुधार की उम्मीद है। ग्राहकों ने यह भी सुझाव दिया है कि बैंक को स्थानीय भाषा में वित्तीय साक्षरता शिविर और डिजिटल लेनदेन के प्रशिक्षण और बढ़ाने चाहिए। इन अनुभवों से पता चलता है कि बैंक को आने वाले वर्षों में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक संवादात्मक और ग्राहक–केंद्रित रणनीति अपनानी होगी।

सरकारी योजनाओं से समन्वय

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने केंद्र एवं राज्य की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को अपने कार्यभार में शामिल किया है जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ा है।जो प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं–

- **प्रधानमंत्री जन–धन योजना** (PMJDY)–इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने लाखों नए बैंक खाते खोले हैं। जून 2025 तक उत्तराखंड में जन–धन खातों की संख्या 11.36 लाख से अधिक हो चुकी है सभी बैंकों में जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों से जोड़ने में मदद मिली है। बैंक ने बिना औपचारिक जमा शेष वाले खातों साधारण तौर पर शून्य शेष खाते भी खोलकर ग्रामीणों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है।
- **प्रधानमंत्री किसान मानधन/सम्मान निधि** (PM&KISAN)– किसानों की आय सुनिश्चित करने हेतु जारी पीएम–किसान योजना में बैंक की शाखाएँ लाभार्थियों को सहायता दे रही हैं। अक्टूबर 2024 में 18वीं किस्त के रूप में राज्य के 7.98 लाख किसानों के खातों में कुल ₹169.04 करोड़ ऑनलाइन स्थानांतरित किये गए। बैंक शाखाओं ने किसानों के डाटा का सत्यापन करके इन योजनाओं को निष्पादित किया और लाभार्थियों की तकनीकी सहायता प्रदान की। इस प्रकार बैंक ने पीएम किसान योजना के तहत गांव–स्तर पर लाभार्थियों को जोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई है।
- **अन्य सरकारी कार्यक्रम–** महिला एवं ग्रामीण कल्याण, रोजगार सृजन और आवास योजनाओं के अंतर्गत भी बैंक समन्वय करता रहा है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कर्ज वितरण, कौशल विकास

योजनाओं में लोन आदि में बैंक सहयोग कर रहा है। नाबार्ड व राज्य सहकारी बैंकों के सहयोग से बैंक हर ब्लॉक में वित्तीय जागरूकता शिविर आयोजित कर रहा है, जिसमें जन–धन, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन आदि योजनाओं की जानकारी दी जाती है।

सरकार की इन पहलों के साथ बैंक की सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की गति और बैंक की पहुँच और बढ़ी है। बैंक ने सरकारी सब्सिडी और सहायताएँ सीधे लाभार्थी खातों में वितरित कराकर भी ग्रामीणों की पूँजी तक सीधी पहुँच मुहैया कराई है।

चुनौतियाँ और समाधान

उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास अनेक चुनौतियों के साथ हुआ है। भौगोलिक रूप से कठिन पहाड़ी क्षेत्र, बँटवारे वाली खेती तथा आर्थिक सीमितताएँ बड़ी बाधाएँ हैं। ग्रामीण क्षेत्र की निम्न वित्तीय साक्षरता, कम शिक्षा स्तर और बाज़ार तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या बैंक सेवाओं की पहुँच को प्रभावित करती है। इसके चलते किसानों और उद्यमियों को ऋण चुकाने में देरी होती है, जिससे एनपीए स्तर बढ़ जाता हैं। शुद्ध रूप से व्यापारिक दृष्टिकोण में उत्तराखंड की ग्रामीण बैंकिंग में ऋण–जमा अनुपात अपेक्षित लक्ष्य से बहुत कम रहा है सन् 2022–23 में लगभग 45.21 प्रतिशत जबकि सहकारी बैंकों का अनुपात 74.54 प्रतिशत था। यह बताता है कि ग्रामीण बैंकिंग में ऋण वितरण अभी भी उपयुक्त स्तर तक नहीं पहुँचा है।

इन चुनौतियों का सामना करने हेतु समाधान भी अपनाए गए हैं। बैंक ने ग्रामीण शाखाओं में ऋण पुर्नभुगतान सहायता, समूह ऋण (ग्रुप गारंटी) मॉडल और एनपीए पुनर्वास योजना लागू की है। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों से ग्रामीणों में बैंकिंग जागरूकता बढ़ रही है। एक अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण कर्जदाता की प्रवृत्ति सुधारने के लिए बैंक को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, टेक्नोलॉजी के समुचित उपयोग से भी बाधाएँ कम की जा सकती हैं जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी वाला बैंकिंग मित्र ग्रामीण इलाकों में पहुँच बनाने में मददगार साबित हो सकता है।

सरकार और बैंक दोनों को मिलकर जागरूकता अभियानों को और सशक्त करना होगा। बैंक को चाहिए कि वे स्वयं सहायता समूह और कृषक संगठनों के साथ जुड़कर ऋण योजना और बीज वितरण जैसी सेवाओं का संयोजन करें। इससे ग्रामीण लाभार्थी आत्मनिर्भर होंगे और ऋण वापसी में सुधार होगा।

निष्कर्ष एवं सुझाव

पिछले कुछ दशकों से भारत के ग्रामीण क्षेत्रो की स्थिति काफी हद तक बदली है इसमें वित्तीय संथाओ की भूमिका महत्वपूर्ण रही है ग्रामीण साख व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओ के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग एवं पशुपालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि ग्रामीण जनता को रोज़गार एवं आय के साधन उपलब्ध हो सके। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांश व्यक्तियों का मुख्य कार्य कृषि पर आधारित है जो उनकी आय का स्तर न्यूनतम होता है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना से क्षेत्र से कमजोर वर्गों की साख आवश्यकताओं की पूर्ति सहज रूप से होने लगी है उन्हें आससन किश्तों पर ऋण उपलब्ध हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रो के विकास में यह बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण किसानो, कास्तकारो, लघु एवं कुटीर उघमियो, पशुपालन, मुर्गी पालन, एवं मत्स्य पालन आदि कार्यो में लगे लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है।उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की साख व्यवस्था निश्चित ही उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में सार्थक सिद्ध हुई है। अतः हम कह सकते है कि बैंकिंग साख सुविधाओं का जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पडता है।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि 2019– 2025 के वर्षो में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार करते हुए उल्लेखनीय प्रगति की है। बैंक ने शाखा संख्या बढ़ाकर और विभिन्न ऋण उत्पाद उपलब्ध कराकर ग्रामीण समुदायों में बैंकिंग पहुँच को मजबूत किया है। वित्तीय आंकड़ों के अनुसार जमा व ऋण दोनों में

वृद्धि हुई है तथा एनपीए में कमी आई है। साथ ही मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो एटीएम व वित्तीय साक्षरता जैसे नवाचारों को अपनाकर बैंक ने ग्रामीण ग्राहकों को आधुनिक सेवाएँ प्रदान की हैं। फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ऋण–जमा अनुपात की वृद्धि की ज़रूरत है और ग्राहकों की सेवा गुणवत्ता में सुधार की गुंजाइश है। ग्रामीण ग्राहकों के अनुभव बताते हैं कि बैंक को समयबद्ध एवं ग्राहक–केंद्रित सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। इस दिशा में कुछ सुझाव हैं–

- भारत में ग्रामीण बेरोज़गारी एक समस्या बनी हुई है जिसके निदान हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारे ग्रामीण युवको के लिए कृषि आधारित व्यवसायों, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन से सम्बंधित रोज़गार की वृद्धि की दिशा में उचित प्रयास किया जाना चाहिए।
- बैंको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओ में ऋण वितरण प्रकिया अत्यंत जटिल है जिनके कागज़ात अधिकतर अंग्रेजी भाषा में होते है जिसके कारण ग्रामीण कम पढ़े लिखे व अनपढ़ व्यक्ति ऋण लेने में संकोच करते है उधर बैंको को ऋण प्रकिया ग्रामीण क्षेत्रो अनुकूल बनानी चाहिए।
- बैंक की ऋण वितरण एवं वसूली व्यस्था और अधिक सरल बनानी चाहिए उन्हें समय समय पर संचार के विभिन्न माध्यमों का कर सूचित करना चाहिए ऋण की स्थिति व्याज दरो में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी भी देनी चाहिए।
- आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का अधिक प्रचार करा जाना चाहिए, जिससे एक डिजिटल भारत का निर्माण हो सके।
- पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में बैंकिंग मित्र/बीसी की संख्या बढ़ाने और साथ ही मोबाइल बैंकिंग व वैन सेवा को तीव्र करना चाहिए। इससे बैंकिंग सेवाएँ हर गाँव तक पहुँचेंगी।
- ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग व ऑनलाइन लोन सुविधाओं की जानकारी देने हेतु सरकारी योजनाओं के साथ जुड़कर जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाने की आवश्यकता है।
- ऋण को ऋतु आधारित किश्तों, लचीले पुर्नभुगतान विकल्पों और समूह उधारी (ग्रुप गारंटी) जैसे मॉडल से जोड़कर किसानों व छोटे उद्यमियों को राहत दी जाए।
- ऋण वसूली को सहयोगपूर्ण बनाते हुए पुनर्वित्त योजनाएँ अपनाएँ जाएँ, ताकि छोटे ग्राहकों को अक्षम्य दबाव न हो। साथ ही, बैंक समय–समय पर ऋण शिविर आयोजित कर पुर्नभुगतान योजनाओं की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
- बैंक को सीएससी (कम्यूनिटी सर्विस सेंटर) तथा राज्य योजनाओं के केंद्रों के साथ मिलकर ग्रामीण बैंकिंग पोर्टल्स और ऑनलाइन सेवाओं को प्रचारित करना चाहिए। इससे ग्रामीण लाभार्थी सहूलियत से योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

प्राथमिक सर्वेक्षण और क्षेत्रीय अध्ययन बताते हैं कि ग्रामीण ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएँ मिल रही हैं, किंतु सेवा की गुणवत्ता, ऋण की आसान उपलब्धता और जल्दी से जल्दी सेवाएँ मुहैया कराने में सुधार की उम्मीद है। ग्राहकों ने यह भी सुझाव दिया है कि बैंक को स्थानीय भाषा में वित्तीय साक्षरता शिविर और डिजिटल लेनदेन के प्रशिक्षण और बढ़ाने चाहिए। इन अनुभवों से पता चलता है कि बैंक को आने वाले वर्षों में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक संवादात्मक और ग्राहक–केंद्रित रणनीति अपनानी होगी।

इन पहलों से उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की ग्रामीण कनेक्टिविटी और ग्राहक संतुष्टि और मजबूत होगी। संक्षेप में, बैंक ने 2019–2025 के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अतः कह सकते है कि सुझाए गए सुधारों से यह योगदान आने वाले वर्षो में और अधिक बढ़ सकता है

संदर्भ स्रोत

1. देसाई बसन्त (2013): इण्डियन बैंकिंग, हिमालया पिब्लिशिंग हाउस

2. पटेल बनसी एम (2019): गुजरात के चयनित जिलों में बैकों द्वारा प्रदान कृषि साख का अध्ययन, शोध प्रबन्ध, सी यू शाह विश्वविद्यालय, गुजरात।
3. कुरुक्षेत्र ,नई दिल्ली मासिक पत्रिका विभिन्न अंक
4. उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट 2019- 25
5. योजना,नई दिल्ली मासिक मासिक पत्रिका वभिन्न अंक
6. जर्नल
7. समाचार पत्र पत्रिकाएं
8. pmjdy-gov-in
9. https://shodhganga.inflibnet.ac.in
10. nabard.org
11. rbi.org.in
12. slbcuttarakhand.org.in
13. uttarakhandgraminbank.com
14. समाचार लेख livehindustan.comlivehindustan.com